न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

प्र0न0 – 45/2023

उनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र बल्लूराम जाति बिश्नोई निवासी करणपुरा त0 भादरा।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजेश कुमार दत्तक पुत्र परसाराम जाति बिश्नोई निवासी खजूरी त0 जिला फतेहाबाद।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
3. हल्का पटवारी चक 9 एमएसआर सरदारगढिया त0 भादरा।

–अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

श्री राजेन्द्र गोयल वकील प्रार्थीगण
श्री कृष्ण गर्ग वकील अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि चक 9 एमएसआर के खाता सं0 14/39 के मु0न0 30 के किला न0 21 की 0.253है0 मु0न0 31 के किला न0 24–25 मु0न0 36 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17 की कुल 2.024है0 नहरी मु0न0 37 के किला न0 1, 10, 11, 20 की कुल 3.7950है0 खातेदारी में प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा व परसाराम के नाम 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि चक 9 एमएसआर की 15 बीघा भाखरा प्रोजेक्ट क्षैत्र में मिसन न0 1388 बहुकम डीसी हनुमानगढ़ से दिनांक 18.02.1960 को अलॉट हुई थी जिसकी समस्त किस्तें प्रार्थी के पिता बल्लूराम ने जमा करवाई थी। उक्त कृषि भूमि बाद में बल्लूराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी। प्रार्थी के पिता बल्लूराम ने अपनी खातेदारी में से 1/3 हिस्सा अपने पुत्र प्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम जरिये दान पत्र नाम दर्ज करवा दी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पिता बल्लूराम की मृत्यु 18.03.2022 को होने का शेष 2/3 हिस्सा विरासतन में प्रार्थी के साथ साथ प्रार्थी की बहन रोशनी को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुआ। लेकिन प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उसके पिता का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में परसाराम पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी खजूरी तहसील फतेहाबाद ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। प्रार्थी के पिता बल्लूराम ने परसाराम के विरूद्व न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भादरा में उक्त 10 बीघा अर्थात् 2/3 हिस्सा के सम्बध में एक तमलीकनामा दिनांक 02.04.1979 जो उप पंजीयन भादरा दिनांक 04.05.1979 को बुक न0 1 जिल्द सं0 71 पेज सं0 361–362 जो परसाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

क में था केन्सील करने हेतु वाद पेश कर रखा था जो दिनांक 06.05.2023 को खारीज हो चुका है। परसाराम पुत्र सोहनलाल के कोई सन्तान नहीं थी अप्रार्थी सं0 1 राजेश कुमार बिना अधिकार नाजायज तरीके से बल्लूराम की उक्त कृषि भूमि का परसाराम के नाम दर्ज 200 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज करवाने पर तुला है। जबकि उक्त विवादित भूमि का प्रार्थी व प्रार्थी की बहन बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है अतः प्रार्थी कानूनी अधिकारी है कि वह अप्रार्थीगण को पाबन्द करवा सके कि वे विवादित भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सूचना तलब किया गया। तामिल होने पर अप्रार्थीगण सं0 1 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब पेश कर बहस हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि रोही मौजा चक 9 एमएसआर के खाता सं0 14/39 की कुल 3.7950है0 खातेदारी में प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा व परसाराम के नाम 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि जो परसाराम के नाम दर्ज है प्रार्थी के पिता बल्लूराम की खातेदारी भूमि है। तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। परसाराम जो की हरियाणा का मूल निवासी है जिसका जन्म व मृत्यु भी हरियाणा में हुई थी। परसाराम बल्लूराम का भांजा लगता था उसने गैरकानूनी तरीके से बल्लूराम के नाम दर्ज कुल वाद भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि राज्य सरकार/ सक्षम अधिकारी की मंजूरी बिना भाखड़ा प्रोजेक्ट में अलॉट शुदा भूमि का स्थानान्तरण वर्जित था। परसाराम वैसे भी हरियाणा का मूल निवासी था जिसके नाम राजस्थान राज्य की कृषि भूमि का इन्तकाल नही हो सकता था। प्रार्थी के पिता ने भी इस हेतु अपने जीवनकाल में न्यायालय सिविल न्यायाधिश भादरा में कार्यवाही की है और माननीय न्यायालय द्वारा भी उक्त विवादित भूमि पर रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखने हेतु स्थगन आदेश दिया गया है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित भूमि बल्लूराम ने अप्रार्थी सं0 1 के पिता पर[illegible] जरिए दान पत्र दिनांक 02.04.1979 को सब रजिस्टार कार्यालय में [illegible] रजि[illegible] करवा दिया था। जिसका नामान्तरण 1979 में ही परसाराम के [illegible] तस्दीक [illegible] है अतः प्रार्थी व उसकी बहन रोशनी को उक्त 200 हिस्सा में से एक इंच खातेदारी भी विरासतन में प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी दावाधीन सम्पति में 1/3 हिस्सा का सहखातेदार है व 2/3 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 के पिता के नाम दर्ज है जो लगातार 44 वर्ष से निरंतर परसाराम के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज है। इसलिए अप्रार्थी परसाराम की विरासत हासिल कर चुका है। उक्त वाद भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि प्रतिबंधित थी के संबंध में यह है कि अलॉटशुदा भूमि की एक अवधि के अन्दर ट्रासफर से रुकावट थी लेकिन ज्योंही कोई व्यक्ति खातेदार हो जाता उस पर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाते थे व खातेदार अपना नाम दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी था। उक्त विवादित भूमि से संबंधित वाद एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय सिविल न्यायाधिश भादरा द्वारा खारीज किये जाने पर प्रार्थी द्वारा महज अप्रार्थी के नामान्तरण की कार्यवाही रूकवाने एवं तंग परेशान करने के लिए न्यायालय हाजा से अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ले लिया गया। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 के पिता के नाम दर्ज 200 हिस्सा को प्रार्थी किसी भी प्रकार से न्यायालय में चुनौति नहीं दे सकता एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारीज किया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि में 2/3 हिस्सा जो राजस्व रिकार्ड में परसाराम पुत्र सोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कें संबंध में प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में न्यायालय सिविल न्यायाधिश भादरा में अनवान बल्लूराम आदि बनाम परसाराम आदि मु0न0 31/2014 एवं 24/2014 किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 10.02.2018 को स्थगन आदेश पारित किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2023 को उक्त वाद को खारीज किया गया है। प्रार्थी कृष्ण कुमार द्वारा उक्त निर्णय की अपील माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधिश भादरा के यहां अपील सं0 13/2023 की गई जो वर्तमान में जेरकार है और विवादित भूमि पर बैचान, अन्तरण, परिवर्तन व परिवर्धन नहीं करने हेतु स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी है। चूंकि प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज को चैलेंज किया गया है जो वर्तमान में अपर जिला न्यायाधिश भादरा में जैरकार है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो [illegible] अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही प्रस्तुत दस्तावेजों से यह [illegible] कि उक्त विवादित भूमि से संबधित प्रकरण न्यायालय हाजा के साथ–साथ [illegible] है। अतः प्रार्थना पत्र की विषयवस्तु को जब तक जेरकार प्रकरण का अंतिम फैसला नहीं होता है तब तक संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के हक हिस्सा का निर्धारण एवं संबंधित विषयवस्तु के क्षेत्राधिकार का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। दौराने दावा यदि अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द किया जाता है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (प्रजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

दि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को व्यादेश नहीं दिया जाता है एवं अप्रार्थीगण द्वारा
कसी प्रकार के रिकार्ड में परिवर्तन करने से प्रार्थी हक हिस्सा प्रभावित होने की
बल आंशका प्रतित होती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा
थम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति बखूबी साबित होने के
ारण एवं उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी
धिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण
स आशय की जारी की जाती है कि चक 9 एमएसआर के खाता सं0 14/39 के
)न0 30 के किला न0 21 की 0.253है0 मु0न0 31 के किला न0 24–25 मु0न0 36 के
कला न0 4 ता 7, 14 ता 17 की कुल 2.024है0 नहरी मु0न0 37 के किला न0 1, 10,
, 20 की कुल 3.7950है0 में परसाराम के नाम दर्ज 2/3 हिस्सा में अप्रार्थीगण
फैसला वाद रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे ।

निर्णय आज दिनांक 23-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर
ले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

23-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner